

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(मत्स्य प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी०, भा०प्र०से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।

द्वारा:-

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

राँची/दिनांक 30-05-2024

विषय-

वित्तीय वर्ष 2024-25 में केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 1,73,941 सक्रिय मछुआरों के बीमा {प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना- Group Accident Insurance Scheme (GAIS) in convergence with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)} हेतु कुल मो० 58,44,419/- (अन्ठावन लाख चौवालीस हजार चार सौ उन्नीस) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में माँग सं०-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 1,73,941 सक्रिय मछुआरों के बीमा {प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना- Group Accident Insurance Scheme (GAIS) in convergence with Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)} हेतु कुल मो० 58,44,419/- (अन्ठावन लाख चौवालीस हजार चार सौ उन्नीस) रुपये मात्र के अनुमानित व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB), हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2023-24 दिनांक 18.04.2024 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के तहत क्रियान्वित की जा रही Group Accident Insurance Scheme (GAIS) को अब Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) के साथ अभिसरण कर दिया गया है।

3. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2023-24 दिनांक 09.05.2024 के आलोक में PMMSY के तहत क्रियान्वित की जा रही इस योजना हेतु लागू प्रीमियम का व्यय भार वहन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा क्रमशः 60 : 40 के अनुपात में किया जाएगा। तदनुसार राज्य योजना की प्रीमियम राशि Round off किये जाने पर मो० 58,44,419/- रुपये मात्र होगा। केन्द्र सरकार राज्यांश के समानुपातिक अपने अंशदान की 60 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड (NFDB) हैदराबाद को सीधे प्रेषित करेगी, जो इस योजना की मत्स्य प्रक्षेत्र की नोडल एजेंसी है।

4. इस योजना के अंतर्गत NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2023-24 दिनांक 18.04.2024 के आलोक में इस योजना में 18 वर्ष से 70 वर्ष आयु वर्ग के राज्य के वैसे सभी सक्रिय मछुआरा लाभान्वित होंगे जो किसी भी निबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति या मत्स्यजीवी स्वावलम्बी समिति के सदस्य हों अथवा जिला स्तर, प्रमण्डल स्तर अथवा राज्य स्तर पर मत्स्य विभाग से सम्बद्ध मत्स्य कृषक, मत्स्य विक्रेता, मत्स्य बीज उत्पादक, मत्स्य श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, केज मत्स्य मित्र, मत्स्य मित्र हों अथवा मत्स्य पालन से संबंधित संबद्ध गतिविधियों में सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों की कोई अन्य श्रेणी हों।

Insurance की यह योजना NFDB के माध्यम से "Group Janata Personal Accident Policy (GJPA)"—सह—"Special Contingency Policy Covering Permanent Partial Disability and Hospitalization" दो संयुक्त कॉम्पोनेन्ट के साथ-साथ Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) सहित लागू होगी। इस योजना के लिए प्रति बीमित मछुआरा देय लाभ एवं प्रति वर्ष प्रीमियम की दरें निम्न प्रकार हैं—

(क) प्रति बीमित मछुआरा देय लाभ

Convergence of GAIS with PMSBY				
Type	Sum Insured (Rs.)			
	Accidental death	Permanent Total Disability	Permanent Partial Disability	Accidental Hospitalization
PMSBY	2.00 lakh	2.00 lakh	1.00 lakh	0
GAIS - GJPA	3.00 lakh	3.00 lakh	0	0
GAIS - SCP	0	0	1.50 lakh	25,000
<b>Total</b>	<b>5.00 lakh</b>	<b>5.00 lakh</b>	<b>2.50 lakh</b>	<b>25,000</b>

(ख) प्रति वर्ष प्रीमियम की दर

Details of Premium (Rs.)					
Sl. No.	Insurer	Premium			
		PMSBY	GJPA	SCP	Total
1	M/s National Insurance Company Limited (NICL)	20.00	60.00	4.00	84.00

(ग) प्रति वर्ष प्रति बीमित हेतु प्रीमियम की दर – राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि (रु० में)

क्रम	प्रीमियम का भार वहन	पॉलिसरी का प्रकार	राज्य सरकार का अंशदान	केन्द्र सरकार का अंशदान	कुल
(क)	<b>PMMSY - Group Accident Insurance Scheme (GAIS)</b>				
1.	केन्द्र सरकार—60 %	1- GJPA	24.00	36.00	60.00
	राज्य सरकार—40 %	2- SCP	1.60	2.40	4.00
		<b>कुल</b>	<b>25.60</b>	<b>38.40</b>	<b>64.00</b>
(ख)	<b>Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)</b>				
1.	केन्द्र सरकार—60 %	1- PMSBY	8.00	12.00	20.00
	राज्य सरकार—40 %				
		<b>कुल</b>	<b>8.00</b>	<b>12.00</b>	<b>20.00</b>
		<b>कुल प्रीमियम (क) + (ख)</b>	<b>33.60</b>	<b>50.40</b>	<b>84.00</b>

केन्द्र सरकार का अंशदान प्रतिशत 60 % = 50.40 रु०

राज्य सरकार का अंशदान प्रतिशत 40 % = 33.60 रु०

(लाभुकों से कोई अंशदान नहीं लिया जाएगा)

5. NFDB, हैदराबाद के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2023-24 दिनांक 18.04.2024 के आलोक में इस योजना अंतर्गत बीमा कवरेज के तृतीय वर्ष (वित्तीय वर्ष 2023-24) की वार्षिक समयावधि को दिनांक 31.05.2024 को समाप्त करते हुए चतुर्थ वर्ष अर्थात् चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक समयावधि दिनांक 01.06.2024 से प्रारंभ की जा रही है जो दिनांक 31.05.2025 तक होगी।

6. विभिन्न तीन लघु शीर्षवार उपलब्ध बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत निम्न रूप से राज्यांश मद के राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

मॉग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (राशि रू० में)

क्र०	विस्तृत शीर्ष	स्वीकृत बजट उपबंध	वर्तमान में स्वीकृत राशि	अवशेष बजट उपबंध
<b>लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली-पालन</b>				
1	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050010177010649	200000000.00	0.00	200000000.00
	<b>कुल केन्द्रांश</b>	<b>200000000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200000000.00</b>
2	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050010177010649	133300000.00	0.00	133300000.00
3	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050010177010759	4000000.00	3325493.00	674507.00
4	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050010177010649	40000000.00	0.00	40000000.00
	<b>कुल राज्यांश</b>	<b>177300000.00</b>	<b>3325493.00</b>	<b>173974507.00</b>
<b>लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना</b>				
5	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050078977010649	100000000.00	0.00	100000000.00
	<b>कुल केन्द्रांश</b>	<b>100000000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100000000.00</b>
6	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050078977010649	66700000.00	0.00	66700000.00
7	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050078977010759	1000000.00	635746.00	364254.00
8	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050078977010649	20000000.00	0.00	20000000.00
	<b>कुल राज्यांश</b>	<b>87700000.00</b>	<b>635746.00</b>	<b>87064254.00</b>
<b>लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना</b>				
9	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (केन्द्रांश) 53C24050079677010649	124900000.00	0.00	124900000.00
	<b>कुल केन्द्रांश</b>	<b>124900000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124900000.00</b>
10	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश) 53S24050079677010649	83200000.00	0.00	83200000.00
11	07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय (राज्यांश) 53S24050079677010759	2000000.00	1883180.00	116820.00
12	06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता (राज्यांश - स्टेट टॉप अप) 53X24050079677010649	20000000.00	0.00	20000000.00
	<b>कुल राज्यांश</b>	<b>105200000.00</b>	<b>1883180.00</b>	<b>103316820.00</b>
	<b>कुल योग :</b>	<b>795100000.00</b>	<b>5844419.00</b>	<b>789255581.00</b>

कुल स्वीकृत राशि 58,44,419/- रुपये (अन्दावन लाख चौवालीस हजार चार सौ उन्नीस रुपये) मात्र।

7. बीमित व्यक्तियों को निम्न प्रकार बीमा लाभ प्राप्त होगा-

(क) मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में बीमित को अथवा उनके वैध आश्रित को म० 5,00,000/- (पाँच लाख) रू० का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जाएगा।

राज्यांश

(ख) आंशिक स्थायी अपंगता की स्थिति में मो0 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रू0 ए4 मो0 25,000/- (पच्चीस हजार) रू0 तक का अस्पताल खर्च भुगतान किया जाएगा।

8. (क) इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी डोरण्डा कोषागार से की जायेगी। इस योजना के तहत स्वीकृत/आवंटित राशि का व्यय भारत सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में राशि की विमुक्ति एवं अनुश्रवण हेतु चालू की गई Public Financial Management System (PFMS) की नयी प्रक्रिया को अपनाते हुए PMMSY हेतु नामित SNA के खाते से इस योजना के नोडल एजेंसी NFDB को सीधे अथवा निर्धारित किसी IA के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा तथा इस संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा समय-समय पर संसूचित सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

NFDB के पत्रांक NFDB/DIV1/PMMSY/GAIS/2023-24 दिनांक 09.05.2024 द्वारा उपलब्ध कराया गया बैंक खाते का विवरण निम्न है -

Sl. No.	Particulars	Details
1)	Name of the Account Holder	National Fisheries Development Board
2)	Account Number	110311010000004
3)	Name of the Bank	Union Bank of India
4)	Name of the Branch	Secretariat Branch, Hyderabad
5)	IFS Code	UBIN0811033

(ख) इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

9. पूर्व में चालित केन्द्र प्रायोजित सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की भाँति ही जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी होंगे, जिनके द्वारा विहित प्रपत्र में वांछित अनुलग्नकों सहित भरे हुए तथा बीमित/वैध आश्रित द्वारा हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र जिला मत्स्य पदाधिकारियों द्वारा मत्स्य निदेशालय को भेजे जायेंगे। निदेशालय द्वारा इसे नोडल एजेंसी (NFDB) को भेजा जायेगा अथवा NFDB से प्राप्त निदेशों के आलोक में प्रक्रिया अपनायी जायेगी।

10. जिला मत्स्य पदाधिकारी/दावा प्रस्तुतिकरण पदाधिकारी, बीमित के बैंक खाते से संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को बीमित के दुर्घटना/मृत्यु की सूचना ससमय संसूचित करेंगे ताकि किसी एक ही एजेंसी अर्थात् बैंक के माध्यम से अथवा NFDB के माध्यम से से मात्र एक ही दावे का भुगतान बीमित को हो।

11. इस योजना के लिए उक्त स्वीकृत राशि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित योजना उदव्यय तथा बजट-उपबंध के अंतर्गत है।

12. जिलावार, लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है।

13. जिला मत्स्य कार्यालयों, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड के द्वारा इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जायेगा ताकि अज्ञानतावश मछुआरे इस योजना के लाभ से वंचित न रहें।

14. मत्स्य निदेशालय/जिला मत्स्य कार्यालयों के द्वारा मछुआरों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के पृथक-पृथक एक पृष्ठ के सूचना पैम्पलेट प्रकाशित कराये जायेंगे, ताकि लक्षित वर्ष के समस्त लोगों को ऐसी योजनाओं की जानकारी दी जा सके।

15. यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना - प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एक Component के रूप में चालू की गई है तथा इस योजना के अंतर्गत कोई भी राशि अग्रिम समायोजन हेतु शेष नहीं है।

16. निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची द्वारा इस योजना पर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval & Monitoring

740

Committee – SLAMC) की दिनांक 10.01.2024 को सम्पन्न बैठक में कुल 1,69,736 मछुआरों के बीमा कवरेज हेतु अनुमोदन प्राप्त किया गया है तथा मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 104 दिनांक 16.01.2024 द्वारा NFDB, हैदराबाद को संसूचित है। शेष के लिए राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति (State Level Approval & Monitoring Committee – SLAMC) का घटनोत्तर अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।

17. यह स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं०-सी०एस०-2/आर०-01-2005-302 दिनांक 11 मार्च, 2015 तथा अधिसूचना सं०-सी०एस०-01/आर०-04/ 2001/1269 दिनांक 21.09.2023 के द्वारा प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।


18. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक 2561 दिनांक 17-04-98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

19. इस योजना का कियान्वयन भारत सरकार एवं नोडल एजेंसी NFDB, हैदराबाद द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में किया जायेगा।

20. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।


21. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब-साईट [www.jharkhandfisheries.org](http://www.jharkhandfisheries.org) पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

  
(अबुबक्कर सिद्दीख पी०)  
सरकार के सचिव


ज्ञापांक 03 रा. (व.) / राँची, दिनांक 30-05-24


प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, झोरण्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 03 रा. (व.) / राँची, दिनांक 30-05-24

प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/प्रबंध निदेशक, झारस्कोफिश, राँची/उप मत्स्य निदेशक, (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी) तथा सहायक मत्स्य निदेशक (अनुसंधान)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/वरीय लेखा पदाधिकारी, PFMS/NFDB, हैदराबाद/योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त (सभी)/उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी)/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
राजा

  
सरकार के सचिव



03 रा (व)

30-05-24

(73)

## परिशिष्ट-1

वित्तीय वर्ष 2024-25 में गाँव सं०-53-मत्स्य-मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-77-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत मछुआरों के बीमा का मौसिक (संख्या में) एवं वित्तीय (रूपये में) लक्ष्य													
क्र०	जिला का नाम	लघु शीर्ष-709-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			लघु शीर्ष-798-जनजातीय क्षेत्र उप योजना			लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन			कुल मौसिक लक्ष्य	कुल वित्तीय लक्ष्य	
		विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय											
		मौसिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		मौसिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य		मौसिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य				
			राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश		राज्यांश	केन्द्रांश			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रौंसी	1566	52617.600	78926.400	4014	134870.400	202305.600	2028	68140.800	102211.200	7608	255628.800	383443.200
2	खैली	979	32894.400	49341.600	2582	86755.200	130132.800	688	23116.800	34675.200	4249	142766.400	214149.600
3	गुमला	277	9307.200	13960.800	3616	121497.600	182246.400	2731	91761.600	137642.400	6624	222566.400	333849.600
4	सिमरुंग	250	8400.000	12600.000	7820	262752.000	394128.000	462	15523.200	23284.800	8532	286675.200	430012.800
5	लोहरदगा	381	12801.600	19202.400	6172	207379.200	311068.800	2342	78691.200	118036.800	8895	298872.000	448308.000
6	सातेहार	125	4200.000	6300.000	6100	204960.000	307440.000	2075	69720.000	104580.000	8300	278880.000	418320.000
7	प० सिंहभूम	329	11054.400	16581.600	3440	115584.000	173376.000	927	31147.200	46720.800	4696	157785.600	236678.400
8	पूर्वी सिंहभूम	140	4704.000	7056.000	1003	33700.800	50551.200	1357	45595.200	68392.800	2500	84000.000	126000.000
9	सरायकेला	800	26880.000	40320.000	5000	168000.000	252000.000	8000	268800.000	403200.000	13800	463680.000	695520.000
10	दुमका	547	18379.200	27568.800	3690	123984.000	185976.000	5774	194006.400	291009.600	10011	336369.600	504554.400
11	जामताड़ा	508	17068.800	25603.200	1759	59102.400	88653.600	4034	135542.400	203313.600	6301	211713.600	317570.400
12	साहेबगंज	1178	39580.800	59371.200	1013	34036.800	51055.200	4365	146664.000	219996.000	6556	220281.600	330422.400
13	भाकुड	273	9172.800	13759.200	4050	136080.000	204120.000	2121	71265.600	106898.400	6444	216518.400	324777.600
14	हजारीबाग	1080	36288.000	54432.000	1000	33600.000	50400.000	5300	178080.000	267120.000	7380	247968.000	371952.000
15	रामगढ़	2135	71736.000	107604.000	156	5241.600	7862.400	4509	151502.400	227253.600	6800	228480.000	342720.000
16	कोडरमा	1937	65083.200	97624.800	91	3057.600	4586.400	5472	183859.200	275788.800	7500	252000.000	378000.000
17	चतरा	1840	61824.000	92736.000	556	18681.600	28022.400	3708	124588.800	186883.200	6104	205094.400	307641.600
18	बोकारो	350	11760.000	17640.000	430	14448.000	21672.000	3096	104025.600	156038.400	3876	130233.600	195350.400
19	गिरिडीह	870	29232.000	43848.000	279	9374.400	14061.600	7432	249715.200	374572.800	8581	288321.600	432482.400
20	धनबाद	942	31651.200	47476.800	837	28123.200	42184.800	4810	161616.000	242424.000	6589	221390.400	332085.600
21	मोड़डा	336	11289.600	16934.400	1017	34171.200	51256.800	5079	170654.400	255981.600	6432	216115.200	324172.800
22	बलामू	123	4132.800	6199.200	221	7425.600	11138.400	5824	195686.400	293529.600	6168	207244.800	310867.200
23	पड़या	414	13910.400	20865.600	422	14179.200	21268.800	6564	220550.400	330825.600	7400	248640.000	372960.000
24	देवघर	1541	51777.600	77666.400	779	26174.400	39261.600	10275	345240.000	517860.000	12595	423192.000	634788.000
योग:		18921	635745.60	953618.40	56047	1883179.20	2824768.80	98973	3325492.80	4988239.20	173941	5844417.60	8766626.40
अर्थात्:		18921	635746.00		56047	1883180.00		98973	3325493.00		173941	5844419.00	

राज्यांश कुल यो० 58,44,419/- (अन्दाजन लाख चौबालीस हजार चार सौ उन्नीस) रुपये मात्र।

CW- राजीव

(अबुबकर शिददीख) 5  
सरकार के सचिव

